Important Notice

Attention: candidates of CHSL-2019 examination seeking exemption from appearing in typing Test

Candidates qualified in Tier-II of CHSL Exam, 2019, who are 'Persons with benchmark disability' and who claim to be permanently unfit to take the Typing Test because of Physical disability and seek exemption from appearing and qualifying in Typing Test are required to send scanned copies of following documents on email ID: ssccrchsl19@gmail.com, latest-by-29/10/2021.

- Medical Certificate seeking exemption in prescribed format (Annexure XIII of the notice of Examination) from the competent Medical Authority, i.e., the Civil Surgeon of a Government Health Care Institution
- 2. **Certificate of Disability** in the prescribed format as per Annexure-X to Annexure-XII of the notice of Examination, as applicable
- 3. **Undertaking** as per the format annexed to this notice

The candidates are required to produce all these documents in original before the Commission at the time of document verification. If any candidate fails to produce the same during document verification, Commission would cancel the candidature of such candidate for this exam and such candidates will have no claim against the Commission's decision.

Any request in this regard with any alternative mode of submission and submission after prescribed date i.e. 29/10/2021 will not be entertained.

महत्त्वपूर्ण सूचना

संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा (CHSL) -2019 के वह उम्मीदवार जो TYPING TEST में उपस्थित होने और TYPING TEST से छूट प्राप्त करना चाहतें है के सूचनार्थ.

परीक्षा के टियर- II में उत्तीर्ण वे उम्मीदवार, जो बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति हैं और जो शारीरिक अक्षमता के कारण टाइपिंग टेस्ट देने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होने का दावा करते हैं और टाइपिंग टेस्ट में सम्मिलित होने से छूट लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां ईमेल आईडी ssccrchsl19@gmail.com पर दिनांक 29.10.2021 तक भेजने की आवश्यकता है -

- सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, यानी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सिविल सर्जन से निर्धारित प्रारूप (परीक्षा की सूचना का अनुलग्नक XIII) टाइपिंग में छूट की मांग करने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- परीक्षा की सूचना के अनुलग्नक X से XII के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विकलांगता
 प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो।
- इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार वचन पत्र I

उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय आयोग के समक्ष इन सभी दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई उम्मीदवार प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान इसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आयोग इस परीक्षा के लिए ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर देगा और ऐसे उम्मीदवारों का आयोग के फैसले के खिलाफ कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

इस संबंध में किसी भी अन्य तरीके से प्रमाण पत्रों को भेजने एवं निर्धारित तिथि अर्थात 29.10.2021 के पश्चात भेजे गए प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा I

UNDERTAKING

I, Roll No a	m a candidate of CHSLE 2019
Examination and would like to avail exemption	on from the requirement of
appearing and qualifying in type test, in acco	
examination notice, as I am permanently unfit to	,. G
physical disability. I am herewith attaching a c	• •
prescribed format (annexure XIII) of notice of exa	•
medical authority i.e. a civil surgeon of a Gover	
along with relevant medical certificate in prescri	oed format as per annexure X
to annexure XII of the notice of examination.	
I also undertake that I will produce al	
during document verification before the Comm	•
same, the Commission may cancel my candidature	e for this examination and I will
have no claim against the Commission's decision.	
SIGNATU	JRE
NAMEO	CANDIDATE
NAIVIE OI	CANDIDATE
ROLL NO	
DATE	

<u>वचनपत्र</u>

रोल नंबर	CHSL	E 2018 परीक्षा का एव
। छूट का लाभ लेना च	ाहता हूँ, क्योकि	मै क्योंकि मैं शारीरिक
पिंग देने में स्थायी रूप	से अनफिट हूं।	मैं परीक्षा के नोटिस वे
XIII) में अपेक्षित प्रमाण	पत्र की एक प्रति	[·] जो की सक्षम चिकित्स
स्वास्थ्य देखभाल संस्था	न का सिविल स	र्जन हो, के द्वारा जारी
र्धारित प्रारूप में प्रासंगि	क चिकित्सा प्रमा	ण पत्र परीक्षा विज्ञप्ति वे
र संलग्न कर रहा हूँ		
। देता हूं कि मैं आयोग वे	क समक्ष दस्तावेज इ	। सत्यापन के दौरान इन
ा में प्रस्तुत करूंगा। यवि	: मैं इनको प्रस्तुत	। करने में विफल रहत
लिए मेरी उम्मीदवारी	रद्द कर सकता है	और आयोग के फैसले वे
ं होगा।		
	हस्ताक्षर	
,	अभ्यर्थी का नाम.	
;	अनुक्रमांक	
1	दिनांक	
	के नोटिस के पैरा 13.9 ह्या छूट का लाभ लेना च पिंग देने में स्थायी रूप XIII) में अपेक्षित प्रमाण स्वास्थ्य देखभाल संस्था र्धारित प्रारूप में प्रासंगि र संलग्न कर रहा हूँ ह सें प्रस्तुत करूंगा। यि लिए मेरी उम्मीदवारी होगा।	दिता हूं कि मैं आयोग के समक्ष दस्तावेज में प्रस्तुत करूंगा। यदि मैं इनको प्रस्तुत लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द कर सकता है हस्ताक्षर अभ्यर्थी का नाम.